फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :—**हीरूबाई गुर्जर** विपक्षी :—**सवाबाई वगैरह**

किस्म मुकदमा :—88,188 आरटीएक्ट पत्रावली संख्या :—175 / 25

जीसीएमएस नम्बर :— 2025 / 357

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अपने पिता की भूमि में घोषणा चाहने बाबत पेश किया है। वादीया द्वारा निवेदन किया की उनके पिता नारिया का निधन हो चुका है। दौराने बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा निवेदन किया गया की वर्तमान में खातेदार खेमसिंह की मृत्यु हो चुकी है। जिसके संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना औ.क्षे. बासनी जिला पश्चिम जोध कमिश्नरेट, जोधपुर द्वारा अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण कर प्रकरण भी तैयार किया गया है एवं खातेदार खेमसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो चुका है। अब वर्तमान में केवल वादग्रस्त भूमि में निहित मृतक खातेदार खेमसिंह की भूमि में विरासत का नामान्तकरण पारित किया जाना है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि खातेदार खेमसिंह का निधन होकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। ऐसे में प्रकरण वर्तमान में घोषणा का नही होकर विरासत के नामान्तरकरण का हो चुका है। विरासत के नामान्तरकरण हेतु सक्षम न्यायालय (तहसीलदार) में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि तहसीलदार को विरासत के नामान्तरकरण हेतु प्रकरण का स्थानान्तरण किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस एवं वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट हो चुका है कि प्रकरण घोषणा का नहीं होकर विरासत के नामान्तरकरण का हैं जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं हैं। प्रकरण में तहसीलदार घासा को धारा 135(2) के तहत् प्रकरण दर्ज कर सुनने का अधिकार हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार घासा को स्थानान्तरित कर निर्देशित किया जाता है कि धारा 135 (2) के तहत् प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें। जरिये अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार घासा में दिनांक 22.04.2026 को उपस्थित रहे। तहसीलदार घासा को उक्त आदेशिका एवं वाद पत्र की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	